FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सिरदारा बनाम गोपाल उर्फ गोपीराम वगै0

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 (ए) आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बरः– 44 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुये
20.07.2022	प्रार्थी की ओर से श्री रामप्रताप सिंह धींवा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र 251 (ए) आर0टी0एक्ट का दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 25.07.2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	1102-14/2022 21-7-22
21.07.2022	वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश कर विड्रा किये जाने प्रार्थना पत्र का पेश करने पर पत्रावली नियत पेशी 25.07.2022 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 251 (ए) में कानूनी खामी रह जाने से उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रा कर दूसरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) का पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) का पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.08.01 12:21:40 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	